कार्यालय प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, नौगाँव
जिला–छतरपुर(म.प्र.) – 471201
(म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2012 में स्थापित)

फोन(ऑफिस) 07685–292217 292218
फैक्स 07685–292217
ईमेल enggcollegenowgong@rediffmail.com
वेबसाइट www.necnowgong.in

क्रं0 / ई0सी0एन0 / कैन्टीन / 2023 / 470

नौगॉव दिनॉक 13/12/2023

लिफाफा भाग–1

निविदा प्रपत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालय, नौगॉव जिला–छतरपुर (म0प्र0) के नवीन भवन में जनवरी 2024 से कैन्टीन प्रारंभ किया जाना हैं। संस्था में अधिकतम छात्र संख्या लगभग 300 है। जिस हेतु अधिसूचना जारी होने से दिनॉक 26/12/2023 दोपहर 2:00 बजे तक कैन्टीन प्रारंभ करने हेतु निम्न शर्तो के अधीन कार्यालयीन समय में निविदाऐं डाक द्वारा एवं स्वयं उपस्थित होकर आमंत्रित की जाती है। शर्ते निम्न प्रकार है–

1. महाविद्यालय में कैंटीन संचालित करने हेतु म0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित दस्तावेज निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. महाविद्यालय में कैंटीन किराया कम से कम रू0 2,000/– (शब्दो में दो हजार रू0) प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। एवं आपके द्वारा अधिकतम किराया कोट करने वाले को कैंटीन प्रदान किया जावेगा।
3. महाविद्यालय द्वारा कैन्टीन प्रारंभ करने का आदेश मिलने पर धरोहर राशि रू0 10,000/– (शब्दो में दस हजार रूपये) महाविद्यालय में ड्राफ्ट द्वारा तत्काल जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी।
4. कैन्टीन में उपयोग में लाये जाने वाले बर्तन एवं फर्नीचर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
5. ठेकेदार को महाविद्यालय प्रशासन के अधीन कार्य करना होगा।
6. ठेकेदार को नम्र एवं शालीनता का परिचय देना होगा।
7. छात्र/छात्राओ से भाई–चारे का व्यवहार करना होगा।
8. किसी भी प्रकार की शिकायत पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा लिया गया निर्णय मान्य करना होगा।
9. ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह की 05 तारीख तक किराया जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तक किराया जमा न करने पर 50/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना होगा। एवं एक माह का किराया एडवांस में भुगतान करना होगा।
10. कैन्टीन खुलने एवं बंद होने का समय कार्यालयीन समय होगा।
11. विवाद की स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय मान्य होगा।
12. कैन्टीन का ठेका जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक का होगा।
13. ठेकेदार का व्यवहार, चाल–चलन, नम्रता, आचरण व्यवहार महाविद्यालय में अच्छा पाया जाता है तो उसकी अवधि एक वर्ष की जगह 31 दिसम्बर 2025 तक बढ़ाई जा सकती है।
14. आचरण व्यवहार को ध्यान में रखते हुये अगर ठेकेदार सही कार्य करता है तो कैन्टीन समिति की अनुशंसा पर 10 प्रतिशत किराये में वृद्वि करते हुये जनवरी 2025 से लेकर 03 वर्ष बढ़ाया जा सकता है।
15. कैंटीन में स्वंय का विद्युत मीटर लगाकर बिजली बिल खपत अनुसार संस्था में जमा करना होगा।
16. कैंटीन से नशीली वस्तुओं का विक्रय करते हुये पाये जाने पर बिना किसी तर्क–वितर्क के तत्काल कैंटीन का आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
17. संस्था के कैंटीन परिसर में केवल कैंटीन में कार्यरत समुचित कर्मचारी ही उपस्थित रहेगे। बाहरी असामाजिक तत्वो का प्रवेश निषेध है।
18. कैंटीन संचालन करने हेतु निर्धारित प्रपत्र एक लिफाफे में एवं किराया संबंधी भाव पत्र दूसरे लिफाफे सीलबंद कर दोनो लिफाफे एक अन्य लिफाफे में सीलकर एवं महाविद्यालय में स्वंय उपस्थित होकर अथवा डाक से निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करे।
19. कैंटीन संचालन करने हेतु वैध दस्तावेज पाये जाने पर ही दूसरा लिफाफा (भाव पत्र) खोला जावेगा।

प्राचार्य
इंजीनियरिंग महाविद्यालय नौगॉव
जिला–छतरपुर (म0प्र0)

कार्यालय प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, नौगाँव
जिला–छतरपुर(म.प्र.) – 471201
(म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2012 में स्थापित)

फोन(ऑफिस) 07685–292217 292218
फैक्स 07685–292217
ईमेल enggcollegenowgong@rediffmail.com
वेबसाइट www.necnowgong.in

लिफाफा भाग–2

कोटेशन (भाव पत्र)

1. फर्म का नाम –
2. फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर –
3. फर्म का फूड लाइसेंस नम्बर –
4. फर्म का पता –

क्र0	मासिक किराया	दर रूपये में

स्थान–

दिनॉक– हस्ताक्षर